न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2021/192
मुकदमा नम्बर 82/2008 दावा दर्ज दिनांक–03.06.2008

1. नानची देवी पत्नी रिछपाल
2. रामलाल पुत्र मोती जाति जाट निवासीगण ढाका की ढाणी तन नवलगढ़,तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–वादी

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र सुखाराम (फौत)
   1/1 परमेश्वरी देवी पत्नी नेमीचन्द
   1/2 धर्मवीर पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासीगण ढाका की ढाणी तन नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
   1/3 सीता देवी पुत्री नेमीचन्द पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी ग्राम कैरू तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
   1/4 उर्मिला देवी पुत्री नेमीचन्द पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. निवास पुत्र सुखाराम
3. सुभाष पुत्र सुखाराम
4. सुखाराम पुत्र घीसाराम **(वाद पत्र से नाम हजफ)**
5. श्रवण कुमार पुत्र मोतीराम
6. फूलचन्द पुत्र मुकन्दाराम
7. श्रीमती सरबती पत्नी चन्द्राराम
8. मेहनी देवी पत्नी छोटुराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाका की ढाणी तन नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
9. तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री दिपेन्द्र सिंह
प्रतिवादी सं. 3,5 लगा. 8:– एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 1,2,4 :– श्री विधाधर सिंह जाखड़
प्रतिवादी सं. 9 व 10 :– पैरो. राज.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

:: निर्णय :: निर्णय दिनांक 10.11.25

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 298 वादिया नम्बर नम्बर की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि है जो शब्बीर दारूगर से खरीदी थी जिसका राजस्व रिकार्ड भी वादिया नं. 1 के नाम से बना हुआ है और वादिया नं. 1 ही इस भूमि पर खातेदारी के रूप में काबिज है और काश्त करती है। ग्राम ढाका की ढाणी में ही भूमि खतरा नम्बर 299 स्थित जिसमे से वादी नं. 2 व प्रतिवादी नम्बर 5 ने जरिये विक्रय–पत्र ईस्माइल तेली से रकबा 1.80 हैक्टेयर जमीन खरीदी थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड भी वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम से बन चुका है। भूमि खरीदने के बाद में वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 5 को उत्तरी हिस्से का कब्जा दिया गया था जिसपर वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 5 ब–हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। इसके पश्चात इसी खसरा नम्बर मे से प्रतिवादी नं. नम्बर 6 लगायत 8 ने रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि खरीदी थी जिनको दक्षिणी तरफ के हिस्से पर कब्जा दिया गया था जिस पर वे बहैसियत खातेदार–काश्तकार काबिज हैं और काश्त करते हैं। वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 5 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत 8 की उपरोक्त भूमियों के बीच में मिट्टी का डोला लगा रखा है और अलग–अलग काबिज हैं। भूमि खसरा नम्बर 296 गुमानी व महाबीर की खातेदारी मे है जो गुमानी प्रतिवादी नम्बर 5 के स्वर्गीय पिता पीताराम के सगे भाई नानगराम की लड़की है। भूमि खतरा नम्बर 313 प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 5 की खातेदारी–काश्ताकारी की भूमि है जिसपर प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 4 काबिज हैं और काश्त करते हैं। प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 5 की आवासीय ढ्राणी भूमि खसरा नम्बर 313 की पूर्वी दिशा में करीबन 300 मीटर दूर स्थित थी और ये लोग अपनी उक्त ढाणी से चलकर भूदाराम, मेधाराम के खेतों में से होकर अपने खेत मे चले जाते थे।

यह कि भूमि खतरा नम्बर 298 व 299 में से होकर कभी–भी कोई पगडन्डी या रास्ता आम लोगों के आने–जाने के लिऐ नहीं रहा था और ना हिं अब कोई पगडन्डी या रास्ता आम लोगों के आने–जाने के लिऐ मोके पर है, केवल मात्र इन भूमियों के खातेदारों ने अपनी भूमियों मे आने–जाने के लिये अपनी निजी पगडन्डी बना रखी थी। इस निजी पगडन्डी से केबल मात्र भूमि उत्तरा नम्बर 298 व 299 के खातेदार ही अपनी भूमि में आते–जाते थे और इस निजी पनडन्डी से आज तक कभी–भी खसरा नम्बर 298 व 299 के खातेदारान के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ना तो कभी आया व गया है और ना हिं अन्य किसी को इस निजी पगडन्डी से होकर आने–जाने का कोई अधिकार था तथा ना हिं कोई पगडन्डी या रास्ता भूमि खसरा नम्बर 298 व 299 के पुराने नक्शे में कटा हुआ था। प्रतिवादी नम्बर । नेमीचन्द भून्प्रबन्ध विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारीयों के साथ मजदूरी पर कार्य करता था और उनके साथ में रहता था इसलिये भू–प्रबन्ध अधिकारीयों से साजकर गलत रूप से बिना अधिकार के स्वयं को

उपखण्ड अधिकारी

नाजायज लाभ पहुँचाने के लिऐ भूमि खसरा नम्बर 298 व 299 की पूर्वी सींव के पास से अवैध रूप से सिंगल ड्रोटेड लाईन से पगडन्डी का कटान जो संलग्न नजरी नक्शे में ए. से बी. बिन्दुओ के मध्य लाल डोटेड से करवा दिया और अब प्रतिवादीगण नम्बर। लगायत 4 इस गलत रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठाकर नाजायज तरीके से 13 फुट चौड़ा नया रास्ता कायम करवाना चाहते हैं जिसके लिरे प्रतिवादी नम्बर । नेमीचन्द ने पटवारी हल्का से साजकर गलत रिपोर्ट भी तैयार करवाली बताई जाती है, जबकि प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 4 को भूमि खसरा नम्बर 298 व 299 के खातेदारान की निजी पगडन्डी का उपयोग–उपभोग करने का भी कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 ने इस निजी पगडन्डी को सार्वजनिक रास्ता कायम करवाने हेतु जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहाँ एक गलत प्रार्थना–पत्र पेशकर रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की है, जबकि उनको ऐसा कोई अधिकार नही है। यह कि वादीगण के खेत खसरा नम्बर 298 व 299 में से होकर कोई भी पगडन्डी या रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में कोई भी कटान नही किया हुआ था, परन्तु प्रतिवादी नेमीचन्द ने भू–प्रबन्ध अधिकारीयों से नाजायज साजकर भूमि खसरा नम्बर 298 299 में से होकर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में गलत रूप से पबडन्डी का कटान करवाया है, जो कतई गलत है और बिना अधिकार के किया गया है। भू–प्रवन्ध अधिकारीयों को सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव मे पुराने राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह का कोई परीवर्तन करने का कोई भी अधिकार नहीं था, भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारीगण केवल मात्र पुराने राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के रकबे को बीधा से है हैक्टेयर में ही बदल सकते थे, इसके अलावा पुराने रिकॉर्ड की पुनरावृति ही कर सकते थे, सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में रिकॉर्ड में परीर्तन करने का उनको कोई अधिकार नही था और उनके पास सक्षम न्यायालय का कोई आदेश भी नहीं था। इस प्रकार से भी भूमि खतरा नम्बर 298 व 299 मे से होकर पगडन्डी का कटाण बिना अधिकार के गलत रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 8 अपनी–अपनी खातेदारी की जमीनों का लगान भी अदा करते हैं तथा खातेदार के रूप में काबिज है और लगान लगने वाली कृषि भूमि को कृषि उपयोग के अलावा अन्य किसी प्रकार से उपयोग में लेने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्त गलत पगडन्डी का नक्शे में नाजायज कटान करने के कारण भू–प्रबन्ध अधिकारीयों व राजस्व कर्मचारीयों ने अलग–अलग नक्शों मे अलग–अलग कटान दिखाये हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट साबित होता है कि इस पगडन्डी का कटान फर्जी तरीके से गलत व बिना अधिकार के करवाया गया है जिसका नाजायज फायदा उठाकर भूमि खसरा नम्बर 298 व 299 मे से होकर खसरा नम्बर 298 व 299 के खातेदारान के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी को आने–जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत 8 भी प्रतिवादी नम्बर 4 के सगे भाई मुकन्दाराम के परीवार में हैं, अगर कटान के मुताबिक मौके पर कोई पगडन्डी या रास्ता मोजूद होता तो प्रतिवादीका नम्बर 6 लगायत 8 को अलग से

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू

रास्ता खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत 8 ने भूमि खसरा नम्बर 308 की दक्षिणी सींव के पास से होकर अपनी भूमि में आने–जाने के लिऐ रास्ता मोल लिया है, जो अब भी मोके पर पड़ा हुआ है जिससे भी स्पष्ट साबित है कि विवादित पगडन्डी या रास्ता कभी–भी खसरा नम्बर 298 व 299 के खातेदारान के अलावा अन्य किसी प्रतिवादीगण या आमजन के लिऐ नहीं रहा है। इसके अलावा प्रतिवादी गण नम्बर । लगायत 4 को रास्ता लेने का अधिकार केवल मात्र प्रथम दृष्टिया अपने नजदीकी पारीवारिक सदस्य महाबीर व गुमानी की जमीन में से होकर ही है, महाबीर और गुमानी की भूमि कटे हुरे रास्ते से सटती हुई है और प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 4 को इससे हटकर खसरा नम्बर 298 व 299 में से होकर कोई नया रास्ता या पगडन्डी लेने का कोई अधिकार भी नहीं है।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 298 व 299 मे से होकर बिना अधिकार के व साजिश के तौर पर नाजायज रूप से किया गया कटान कायम रहता है तो वादीगण कभी–भी अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं और अपनी कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जाते हैं तथा भविष्य में मुकदमे बाजी बढ़ने की सम्भावना भी बनी रहती है इसलिये इस गलत रिकॉई की दुरुस्ती करवाया जाना आवश्यक है जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। इस गलत रिकॉई की बाबत वादीगण को पहले कोई भी जानकारी नहीं थी, परन्तु प्रतिवादी नम्बर । नेमीचन्द द्वारा गलत रूप से 13 फुट चौड़ा नया रास्ता कायम करवाने की कार्यवाही करने पर वादीगण ने माह अप्रैल व मई सन् 2008 में राजस्व रिकॉर्ड की नकले ली, तब सर्वप्रथम पता चला, इससे पहले वादीगण को कभी भी इस गलत रिकॉई की बाबत कोई जानकारी नहीं थी इसिलिये पहले दुरुस्ती रिकॉई का दावा पेश नहीं किया जा सका था, अब पता चलने पर दुरुस्ती रिकॉर्ड का दावा पेश किया जा रहा है।

यह कि इस गलत रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादी नम्बर । वादीगण के खेतों में से होकर 13 फुट चौड़ा नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 4 उसी के परीवार के होने के कारण प्रतिवादी नम्बर । की हर तरीके से मदद करते हैं और नया रास्ता कायम करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी नम्बर । ने 13 फुट चौड़ा नया रास्ता कायम करवाने के लिऐ जिला कलेक्टर, तहसीलदार व अन्य स्थानों पर गलत प्रार्थना–पत्र पेशकर नया रास्ता कायम करवाने बी नाजायज कोशिश की है तथा राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर बाला–बाला झुठी जाँच रिपोर्ट भी तैयार करवाने की कोशिश कर रहा है और दिनाँक 31–5–2008 को प्रतिवादी नम्बर । ने ऐलानियाँ धमकी भी दी है कि वह राजस्व–कर्मचारीयों से मिल चुका है और इस गलत रिकॉर्ड के आधार पर 13 फुट चौड़ा नया रास्ता खुलवाकर ही रहेगा। प्रतिवादी नम्बर । द्वारा उपरोक्तानुसार धमकी देने पर वादीगण तहसीलदार तहसील नवलगढ़ से भी मिले, जिन्होंने भी 13 फुट चौड़ा रास्ता खुलवाने की धमकी दी है। इसके पश्चात श्रीमानजी के समक्ष भी प्रार्थना–पत्र पेश किया है और शीघ्र से शीघ्र कथित नया रास्ता 13 फुट चौड़ा खुलवाने पर आमादा है जिसकी बाबत हर समय कोशिश की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि अगर प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 4 अपनी नाजायज मन्शा मे सफल हो जावेगें तो वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जावेगें और अपनी कृषि भूमि से बेदखल हो जावेगै जिससे वादीगण को इतना नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में सम्भव नहीं हो सकेगी और वादीगण को अपूर्णीय नुकशान होगा। वादीगण को अपनी जमीन पर वापिस कब्जा प्राप्त करने के लिऐ और हर साल की फसल के नुकशान के भरपाई के लिऐ दावे करने होगें, फसल का कोई वास्तविक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकेगा, जिससे मुकदमे बाजी बढ़ेगी व धन की बर्बादी होगी। इसलिये स्थायी–निषेधाज्ञा का दावा पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 9 व 10 के खिलाफ दो माह का कानूनी नोटिस दिये जानेपर काफी समय लगेगा, इसी दौराने प्रतिवादी गण नम्बर । लगायत 4 व 9 कथित रास्ते को नाजायज रूप से खुलवा देगें और अपनी नाजायज कृत्य में सफल हो जावेगें, जिससे वादीगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। वाद वादीगण अति आवश्यक प्रकृति का है और नोटिस दिया जाना सम्भव भी नहीं है इसलिरे प्रतिवादी गण नम्बर 9 व 10 को बिना नोटिस दिये ही न्यायालय की पूर्व स्वीकृति से दावा पेश किया जा रहा है ताकि दावे मे आइन्दा कोई कानूनी खामी नहीं रहे। न्यायालय की स्वीकृति हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 8 भूमि खसरा नम्बर 299 के सह–खातेदार–काश्तकार हैं जिनमे से प्रतिवादी नम्बर 5 वर्तमान समय मे यहाँ पर मोजूद नही है और वर्तमान समय में उनके हस्ताक्षर होना सम्भव नहीं है, । इसलिये उसको प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत 8 प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 4 के नजदीकी पारीवारिक सदस्य हैं इसलिए उनको भी सह–काश्तकार होने के नाते प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार बनाया जा रहा है ताकि दावे में आइन्दा कोई कानूनी नुक्श नही रहे। दावा घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत् पेश किया जा रहा है इसलिये प्रतिवादी नं. 10 भूमिधारी को भी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम ढाका की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नं. 298 रकबा 0.90 है0 की खातेदार काश्तकार वादिया नं. 1 है, भूमि खसरा नं. 299 रकबा 2.89 है0 मे से रकबा 1.80 है0 के खातेदार काश्तकार वादी नं. 2 व प्रतिवादी नं. 5 तथा खसरा नं. 299 मे से शेष रकबा 1.09 हैक्टेयर के खातेदार–काश्तकार प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत है और इसी अनुसार काबिज हैं और काश्त करते हैं तथा इत्ती अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। भूमि पुराने खसरा नम्बर 3367 व 3368 तथा नये खसरा नम्बर 298 व 299 की पूर्वी सीमा के पास संलग्न नजरी–नक्शा में दिखाये सिंगल डोटेड लाईन से किये गये कटान ऐ. से बी. को नक्शा रिकॉर्ड से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे और आवश्यक दुरुस्ती हेतु तहसीलदार तहसील नवलगढ़ को लिखा जाकर आदेशित किया जावे कि उक्त गलत रूप से किये गये कटान को नक्शे से हटाकर रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

दुरुस्त किया जावे। प्रतिवादीगण नम्बर । लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 298 व 299 में गलत व साजिश के तौर पर किये गये गलत कटान के आधार पर नातो स्वयं कोई रास्ता बोलें और ना हिं कथित रास्ता खुलवाने की कोई कार्यवाही करें तथा नाहिं अपने किसी नोकर–चाकर, परीवार या रिश्तेदार द्वारा कथित रास्ता खुलवावे तथा वादीगण और प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 8 के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नही करे, शांति पूर्वक काश्त करने देवे। नया रास्ता कायम करने की कोई कोशिश नहीं करें। अन्य सिद्धि जो वादीगण के पक्ष में हों और भूलवश चाही जाने से रह गई हों, वह भी अं. धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण को दिलवाई जाने की कृपा करें।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 9 व 10 की और से पैरो. राज. उपस्थित । प्रतिवादी सं. 3,5 लगा. 8 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1,2,4 की और से वकील श्री विधाधर सिंह जाखड उपस्थित हो जवाब दावा निम्न प्रकार से पेश किया गयाः–

यह कि वाद–पत्र की धारा । जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 298 वादिया नम्बर । व खसरा नम्बर 299 वादी नं० 2 व प्रतिवादी नं० 5 व प्रतिवादीगण नं० 6 लगायत 8 काश्त करते है, राजस्व रिकार्ड उनके नाम के बना हुआ है, वादी नं० 2 व प्रतिवादीगण नं० 5 लगायत 8 आपसी व्यवस्था के अनुसार अलग–अलग भूमि काश्त करते है, खाता व खातेदारी व लगान शामलाती है। खसरा नम्बर 296 गुमानी व महावीर की खातेदारी में होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 313 उत्तरदाता की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है, खसरा नम्बर 314 उत्तरदाता की कदीमी ढाणी है। यह कि उत्तरदाता की ढाणी खसरा नम्बर 314 व खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 313 में एक्स से वाई पुख्ता रास्ता जो नवलगढ़ से बेरी को जाता है और उस रास्ते के पश्चिम में "एच" स्थान पर वादीगण, प्रतिवादीगण आदि की पूर्वजो की कदीमी प्रथम दाणी है, उसमें से ही सभी बाद में अपने–अपने हिस्से व खातेदारी की भूमि में जाकर आबाद हो गये, जैसे खसरा नम्बर 314 में सुखाराम, खसरा नम्बर 310 में सुकन्दाराम आदि आबाद हो गये, "एच" बिन्दु की दाणी से चलकर सभी क से ख रास्ते से आकर अपने अपने खातेदारी की भूमि काश्त करते थे और कास्त करके अपनी "एच" बिन्दू की ढाणी मैं शाम आ जाते थे, इधर ते ही ऊंट गाड़ी, पाडागाड़ी, बैल व कालान्तर में ट्रेक्टर, प्रेशर आदि भी इसी रास्ते से आते जाते रहे है और तुलाराम मुकन्दाराम अपने खेतो में बसे व चाह बनाया, निर्माण किया तब भी इधार से ही ट्रेक्टर, ट्रक आदि के निर्माण का तमाम सामान इसी रास्ते से लाये है ट्रेक्टर, थ्रेसर,कुये की मोटर, फसल विक्रय हेतु आदि की आज तक इसी रास्ते से लाये है, मुकन्दा राम व उसका परिवार दाणी 310 से चलकर "जी" गेट से इस विवादित रास्ते में आते है, उत्तरदाता व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

सुखाराम 314 ढाणी से चलकर "जेड" गेट से इस विवादित रास्ते से आकर "क" स्थान पर एक्स ते वाई रास्ते में मिलकर चाहे तो "एच" ढाणी पते जाते है, चाहै तो "एक्स" की तरफ नवलगढ़ आ जाते है, उक्त रान्ता 13 फुट चौड़ा गाड़ियों का कदीमी रहा है, जित परसे आने–जाने गाड़िया लाने ले जाने का उत्तरदाता को कस्टमरी राईट व इजमेंट्री राईट पैदा हो गये है।

यह कि भूदा राम, मेधा राम के खेतो के न तो नम्बर दिये है और ना ही इनके खेतो मे से उत्तरदाता व अन्य किसी का कोई रास्ता रहा है, उत्तरदाता के विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी की भूमि व ढाणी में आने जाने का नहीं है।

खसरा नम्बर 298 सब्बीर दारूगर खसरा नम्बर 299 इस्माईल तेली का रहा तब तक तो उक्त रास्ते का कभी भी विवाद नहीं रहा, गाड़िया आदि आती–जाती थी, लेकिन वादीगण उक्त भूमि क्रय करके काश्त करने लगे तब से ही उनके मन में उक्त रास्ता संकड़ा करने व गाड़ियों का आवागमन बन्द करने की बदनियति रही है और धीरे–धीरे 13 फुट के रास्ते को 6 फुट की पगडण्डी में बदल दिया और अब उसे भी बन्द करना चाहते है, उक्त रास्ता क से ख बेरी गांव तक जाता है, जो 4–5 किलोमीटर लम्बा है और काफी काश्तकारों की काश्त की भूमि के उक्त रास्ता लगता है। व पूरा रास्ता चालू है, सिर्फ क से ग बिन्दु तक के काश्तकार उक्त रास्ते को बन्द करके अपनी जोत बढाना चाहते है, जिसके लिये उक्त झूठा वाद बदनियति से पेशा किया है।

यहाँ यह तथ्य भी तर्क संगत है कि वादी का पिता मोतीराम जिला परिषद में नौकरी करता था और राजनीति के अखाड़े का अखाड़ेबाज है, उस स्थिति का फायदा उठाने के लिये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रास्ता बन्द कर देगें की तर्ज पर उक्त झूठा वाद पेश किया है जो खारीज होने लायक है, जबाब के साथ नक्शा है, जो जबाब दावे का भाग है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त विवादित रास्ता क से ख कदीमी रहा है, उत्तरदाता की याद से पूर्व से उक्त रास्ता है जो बेरी जाने व इस रास्ते पर लगने वाले काश्तकारों के खेतो मैं आने–जाने व पशु गाड़िया लाने व फसल काश्त करने आदि के काम आता रहा है, अब इस रास्ते से आधुनिक साधन ट्रेक्टर, थ्रेसर आदि जाती–जाती है।

यह कि विवादित रास्ता खसरा नम्बर 298, 299 की निजी पगडण्डी होना गलत दर्ज किया है। खसरा नम्बर 298 व 299 के पश्चिम से सटकर एक्स ते वाई सड़क जाती है, फिर नीजि पगडण्डी की क्यों कैसे आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सदा से उक्त रास्ता रहा है, उक्त को कुतर्क से अपनी निजी पगडण्डी बताया गया है, अगर नीजि पगडण्डी है तो आगे के खेतो में उक्त रास्ता कैसे है, लेकिन तत्य यह है कि उक्त कदीमी रास्ता रहा है, उसे वादीगण इस दावे की आड़ मैं बन्द करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

यह कि उक्त कदीमी रास्ता मौके पर रहा है, रिकार्ड में रास्ता कटा हुआ होना व न होना कोई महत्व नहीं रखता है कि विवादित रास्ता कदीम से आने–जाने के उपयोग में आता रहा है, जहां तक नेमीचन्द का भू–प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों के साथ नौकरी का प्रश्न है, एकदम झूठा बनावटी असत्य दर्ज किया है, नेमीचन्द तो चुन्नू वाले पैट्रोल पम्प पर काफी वर्षों से नौकरी करता है।

यह कि भू–प्रबन्धक विभाग को लैण्ड सेर्वे सैटलमेंट रूलस 1957 के अनुसार मौके पर जैसी स्थिति थी, रास्तो, कुओ, निर्माण की स्थिति थी वह दर्ज करने का कानूनी हक था और मौके पर 13 फुट चौड़ा रास्ता था, इसी कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है, जिला कलेक्टर को प्रार्थना–पत्र दिया है मौके पर पटवारी व गिरदावर व नायब तहसीलदार गये है, रिपोर्ट बनाई है, उक्त रास्ता 13 फुट चौड़ा कदीमी माना है।

ग्राम पंचायत ने जरूर अपने निर्णय में उक्त रास्ते को राजनैतिक दवाब के कारण कदम है पगडण्डी मानी है, जिसके विरुद्ध जिला कलेक्टर के यहां अपील चल रही है, वादी ने उक्त तमाम तथ्यों, पटवारी, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के फैसले आदि तमाम तथ्यो को छुपाया है, इस प्रकार के व्यक्ति को कोई सिद्धि नहीं दी जा सकती है, वादी स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है, वादी का वाद खारीज होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है। भू–प्रबन्धक को मौके पर भूमि किस किस्म की है, चाह बना हुआ है या नहीं, ढाणी बनी हुई है या नहीं, रास्ता है या नहीं आदि मौके की स्थिति दर्शाने का पूरा हक अधिकार था, भून्प्रबन्ध ने न तो किसी की खातेदारी बदली है, बाकी तमाम तथ्यों का जबाब ऊपर आ चुका है, वादी ने तमाम तथ्य बनावटी, झूठे दर्ज किये है, वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी नं० 6 लगायत 8 ने खतरा नम्बर 308 की भूमि क्रय की है, जैसे खसरा नम्बर 299 की क्रय की थी और खसरा नम्बर 299 के पूर्व में सटकर एक्स से वाई सड़क जाती है उन्हें अन्य रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है, उनके क से ख एक्स से वाई रास्ते खसरा नम्बर 299 के लगते है जो संयुक्त कब्जे खातेदारी व लगान की भूमि है। यह कि वाद–पत्र में आवश्यक तथ्य दर्ज किये जाते है, साक्ष्य दर्ज नहीं की जाती है, उक्त तथ्य वाद–पत्र के नियमों के विरूद्ध दर्ज किये है।

यह कि महावीर व गुमानी के खेतों में उत्तरदाता का कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा, ना ही उत्तरदाता की इधर पुरानी आबादी की ढाणी है, उतारदाता अपनी "एच" दाणी से अपनी खातेदारी की भूमि खतरा नम्बर 311 मे क से ग रास्ते से कदीम से आया गया है और दाणी से एक्स से वाई रास्ते से नवलगढ़ आता बाता रहा है, यही हमेशा का रास्ता है, गुमानी, महावीर की खातेदारी की तरफ न तो उत्तरदाता की कोई दाणी रही, ना ही इधर काश्त रही, ना ही कभी कोई रास्ता रहा, रास्ता लेने व देने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न कदीमी रास्ते से आने–जाने का है, जो उत्तरदाता का क से ख मार्क का रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि वाद–पत्र की धारा 5 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण व वादीगण के पूर्व काश्तकार जिनसे भूमि क्रय की, उनको इस कदीमी गाड़ियों के रास्ते का नीजि ज्ञान था और हमेशा से इधर से आवागमन देखते आये है। वादीगण को उक्त रास्ते व रिकार्ड का हमेशा से ही ज्ञान है, किसान कार्ड बनाया है, बैंक से लोन लिया है व अपनी खातेदारी रिकार्ड का इतने दिनों से ज्ञान नहीं हो, यह वास्तविकता से परे अविश्वनीय है, लेकिन उक्त रिकार्ड 27–28 साल पुराना हो गया, इस कारण दावे को मियाद में लेने के लिये उक्त बनावटी तथ्य दर्ज किये है इस प्रकार वादीगण का वाद खारीज होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है। कोई किसी प्रकार का नया रास्ता कायम नहीं किया जा रहा है, पुराने कदीमी रास्ते को दुरुस्त मात्र किया जा रहा है, वादीगण के विरुद्ध भू–प्रबन्धक विभाग है, कलैक्टर है, राजस्व कर्मचारी खिलाफ है, सभी उसके खिलाफ क्यों है, उन सभी का ऐसा कौन सा निजी हित है,लेकिन सही बात वास्तविकता की सही रिपोर्ट पेश करते है, जो वादीगण चाहते नहीं है। वादीगण ने तमाम बनावटी, झूठे तथ्य दर्ज किये है जो वाद–पत्र के झूठे आधार बनाने के लिये लिये है, वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 7 गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता व सभी काश्तकार अपने कदीमी रास्ते का हमेशा से उपयोग, उपभोग करते आये है, वैसे ही कर रहे है, जिसका विधि कानून व नियमों के अनुसार उन्हें हक है, उससे किसी को किसी भी प्रकार का विधि विरुद्ध नुकशान होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, वादीगण ने उक्त बाद गलत बदनियति ते गलत सलाह से पेश किया है, जो खारीज होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 8 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का नहीं है, रिकार्ड दुरुस्ती का है, जो 27–28 साल बाद पेश किया गया है। प्रतिवादी नं० 9 व 10 को दो माह का विधिक नोटिस दिये बिना उक्त वाद पेश नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार वादीगण का उक्त वाद वार्ड बाई–ला है, जो खारीज होने लायक है।

यह कि पाद–पत्र की धारा 9 कानूनी है, जबाब की आवश्यकता नहीं है।

यह कि पाद–पत्र की धारा 10 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ, प्रिन्सिपल वादकारण कदीम से रास्ता बनावटी होने, राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर होता है, वादीगण ने बनावटी तारीख दर्ज कर काल्पनिक वादकारण पर वाद पेश किया है, को निरस्त होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा ।। गलत होने से अस्वीकार है। रास्ते का वाद सिविल न्यायालय ही सुन सकता है, वही तैय कर सकता है कि इधर से आने–जाने का किसी को हक है या नहीं है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 12 गलत होने से अस्वीकार है। दावा बाहर मियाद पेश किया गया है। इस प्रकार वादीगण का वाद बाहर मियाद प्रिन्सिपल वादकारण से होने के कारण निरस्त होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 13 गलत होने से अस्वीकार है। मालियत पर कोर्ट फीस पेश कर के सिविल न्यायालय में ही वाद पेश किया जा सकता है, इस प्रकार वादीगण का वाद खारीज होने लायक है।

यह कि वाद–पत्र की धारा 14 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज होने लायक है।यह कि वादीगण ने धारा 14 की उपधारा ख में रिकार्ड दुरुस्ती की सिद्धि चाही है जो टेनेन्सी एक्ट में कहीं पर भी नहीं है, ना ही उक्त रास्ते की लाईने गलत दर्ज की है, इस बाबत घोषणा है व रिकार्ड के सम्बन्ध में लैण्ड रिकार्ड अधिकारी ही सुन सकता है, जिसको उक्त वाद पेश नही किया गया है,इस प्रकार वादीगण का वाद खारीज होने लायक है। यह कि दावा अर्जेन्ट नेचर का नहीं है, 27–28 साल पुराने रिकार्ड को दुरूस्त करवाने बाबत है, रिकार्ड दुरूस्ती का वाद अर्जेन्ट नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण नं० 9 व 10 को दो माह का नोटिस दिये बिना उनके विरूद्ध वाद पेश नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार पूर्व नोटिस देने के अभाव में उक्त वाद वार्ड बाई–ला है, जो निरस्त होने लायक है।यह कि उक्त वाद कदमी रास्ता के संबंध में है और 27–28 साल पुराने रिकार्ड के भी सम्बन्ध में है। इस प्रकार उक्त वाद बाहर मियाद पेश किया गया है, जो खोरीज होने लायक है। यह कि वादीगण को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ, वादीगण ने उक्त भूमि क्रय की थी,उससे पूर्व के खातेदार के समय से उक्त रास्ता आता–जाता रहा है, उन्होने वर्तमान स्थिति के अनुसार ही भूमि क्रय की थी, इस प्रकार वादीगण को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ, वाद कारण के अभाव में उक्त वाद खारीज होने लायक है। यह कि वादीगण ने पटवारी हल्का, नायब तहसीलदार व ग्राम पंचायत के निर्णय व कदीमी रास्ते के तथ्यो को छुपाया है, इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं दी जा सकती है, वादीगण का वाद खारीज होने लायक है। यह कि रास्ते के अधिकार तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार श्रीमान की रास्ते के सम्बन्ध में वाद सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है, इस प्रकार उक्त वाद खारीज होने लायक है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज किया जायें ।

प्रकरण में निम्न प्रकार से विवाधक कायम किये गये:–

1. आया वाद वादी ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नं. 298 रकबा 0.90 है0 की खातेदारी काश्तकार वादिया नं. 1 है, ख.नं. 299 रकबा 2.89 है0 मे से रकबा 1.80 है0 के खातेदार काश्तकार वादी नं. 2 प्रतिवादी नं. 5 है तथा ख.नं. 299 मे से शेष रकबा 1.09है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 है और इसी प्रकार से खातेदारी कि घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी

भा.स.वादी

2. आया वाद वादी मे पुराने ख.नं. 3367 व 3368 तथा नये ख.नं. 298 व 299 की पूर्वी सीमा के पास संलगन नजरी नक्शा मे दिखाये सिंगल डोटेड लाईन से किये गये कटान ए से बी को नक्शा रिकार्ड से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

भा.स.वादी

3. आया वाद वादी मे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 को भूमि ख.नं. 298 व 299 मे गलत व साजिस के तौर पर किये गये गलत कटान के आधार पर कोई रास्ता नही खोलने तथा वादी तथा प्रतिवादी 5 लगायत 8 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई बाधा, नया रास्ता कायम करने की कोशिश नही करे बाबत् स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

4. आया वाद वादी को कोई वादकारण पैदा नही होता है अतः वाद कारण के अभाव मे वाद खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

5. आया वाद वादी लैण्ड रिकार्ड अधिकारी ही सुन सकता है, इसलिये वाद खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

6. आया वाद वादी मे प्रतिवादी सं. 9 व 10 को दो माह का नोटिस नही दिया गया है, इस प्रकार वाद बार्ड बाई ला है जो खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

7. आया वाद वादी 27–28 वर्ष पुराने रिकार्ड के सम्बन्ध मे है जो मियाद बहार है, इसलिये वाद वादी खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

8. आया वाद वादी मे रास्ते से सम्बन्धित अधिकार तैय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही। अतः श्रवणाधिकार के अभाव मे वाद वादी खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

प्रकरण में विवाधक तय होने के उपरान्त, वाद में प्रतिवादी 1,2,4 की और आगे पैरवी हीदायत नही होने से वकील प्रतिवादी श्री विधाधर सिंह जाखड हाजीर नही आये और प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1,2,4 की विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रकरण में श.वादी में उंकारमल व जयसिंह के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश हुये। बहस एक पक्षीय वकील वादी द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों,साक्ष्य शपथ पत्रों, तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा ट्रेस 1935–36,नक्शा ट्रेस 1979–80, नकल मिलान क्षेत्रफल,नकल जमाबन्दी 2062–2065, नकल रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ दिनांक 22.12.2017 का अवलोकन करवाते

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

हुये तथा न्यायालय द्वारा संशोधित तनकी अनुसार दलिल प्रस्तुत करते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2022 को संशोधित तनकी अनुसार विवेचन किया जाना उचित प्रतित होता है:–

1. आया वाद वादी ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नं. 298 रकबा 0.90 है0 की खातेदारी काश्तकार वादिया नं. 1 है, ख.नं. 299 रकबा 2.89 है0 मे से रकबा 1.80 है0 के खातेदार काश्तकार वादी नं. 2 प्रतिवादी नं. 5 है तथा ख.नं. 299 मे से शेष रकबा 1.09 है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 है और इसी प्रकार से खातेदारी कि घोषणा करवाने के अधिकारी है।

भा.स.वादी

विवेचनः–

उक्त तनकी रिकार्ड से साबित है।

2. आया वाद वादी मे पुराने ख.नं. 3367 व 3368 तथा नये ख.नं. 298 व 299 की पूर्वी सीमा के पास संलगन नजरी नक्शा मे दिखाये सिंगल डोटेड लाईन से किये गये कटान ए से बी को नक्शा रिकार्ड से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

भा.स.वादी

विवेचनः–

उक्त तनकी को साबित किये जाने का भार वादी पक्ष पर था। वादी पक्ष द्वारा 1935–36 की नक्शा शीट में रास्ते का अंकन दर्ज नही होना रेकार्ड से अवगत किया है परन्तु 1979–80 की सीट में डोटेड लाईनों से कटा हुआ है और सीट का अवलोकन करने से खसरा नं. 298 व 299 के पूर्व से भी कृषि जोतो से कटा हुआ आता दिखाया गया है। लिहाजा यह यह जाहिर है कि 1935–36 के राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन नही हो तथा जब भू–प्रबन्ध अधिकारियें द्वारा 1979–80 के सेटलमेंन्ट का रिकार्ड तैयार किया हो तो मौके कि स्थिति अनुसार ही सभी कृषि जोतो मे रास्ते का सही अंकन किया हो। इस बात से इन्कार नही किया जा सकता है कि रास्ता कदीम व प्रचलित नही रहा हो। कृषि भूमि पर काश्त एंव समयानुसार कृषि भूमि का विकास होने पर रास्तो, चाह, निर्माण,पुराने रिकार्ड की खामी इत्यादी को समय–समय पर भू–प्रबन्ध के द्वौरान अपडेट किया जाता रहा है। सैटलमेन्ट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वरवक्त तैयार रिकार्ड पर केवल पुराने सेटलमेन्ट नक्शा सीट के आधार पर प्रश्न चिन्ह नही लगाया जा सकता है। वादी पक्ष द्वारा पत्रावली पर साक्ष्य/प्रस्तुत रिकॉर्ड इस तनकी को साबित करने के लिये पर्याप्त नही है। लिहाजा वादी पक्ष .उक्त तनकी को पूर्ण रूप से साबित करने मे असमर्थ रहे है।

3. आया वाद वादी मे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 को भूमि ख.नं. 298 व 299 मे गलत व साजिस के तौर पर किये गये गलत कटान के आधार पर कोई रास्ता नही खोलने तथा वादी तथा प्रतिवादी 5 लगायत 8 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करे, नया रास्ता कायम करने की कोशिश नही करे बाबत् स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

उपखण्ड अधिकारी

विवेचनः–

उक्त तनकी को साबित किये जाने का भार वादी पक्ष पर था। वादी पक्ष द्वारा तनकी संख्या –2 साबित नही कर पाये है इसलिये सेटमलमेन्ट 1979–80 के रिकार्ड को देखते हुये उक्त तनकी साबित नही पाई जाती है।

4. आया वाद वादी को कोई वादकारण पैदा नही होता है अतः वाद कारण के अभाव मे वाद खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

5. आया वाद वादी लैण्ड रिकार्ड अधिकारी ही सुन सकता है, इसलिये वाद खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

6. आया वाद वादी मे प्रतिवादी सं. 9 व 10 को दो माह का नोटिस नही दिया गया है, इस प्रकार वाद बार्ड बाई ला है जो खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

7. आया वाद वादी 27–28 वर्ष पुराने रिकार्ड के सम्बन्ध मे है जो मियाद बहार है, इसलिये वाद वादी खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

8. आया वाद वादी मे रास्ते से सम्बन्धित अधिकार तैय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही। अतः श्रवणाधिकार के अभाव मे वाद वादी खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी1,2,4,

विवेचनः–

तनकी सं. 4 लगायत 8 को साबित किये जाने का भार प्रतिवादी सं. 1,2,4 पर था। प्रतिवादी पक्ष के विरूद्व प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकी साबित नही हुई है।

पत्रावली पर कायम तनकी,वादीगण साबित करने मे असमर्थ रहे है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य अपना पक्ष साबित करने के लिये पर्याप्त नही है। लिहाजा वाद वादी खारीज किया जाना न्यायोचित है।

"आदेश"

वाद वादीगण पोषणीय व न्यायोचित नही पाये जाने पर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश/निर्णय आज दिनांक ...10/11/2025..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2021/192

मुकदमा नम्बर 82/2008 दावा दर्ज दिनांक–03.06.2008

(नानची देवी वगै0 बनाम नेमीचन्द वगै0)

दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादीगण पोषणीय व न्यायोचित नही पाये जाने पर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... .....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 10 माह // सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	3.00	मुतफरिक मिजान	1.00